रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED NO. D(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 1983/चैत्र 28, 1905
No. 183] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 1983/CHAITRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1983

का. आ. 319(अ).—यत केन्द्रीय सरकार को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के प्रशासनिक निकाय से उनकी उप-विधियों में संशोधन करने के लिए लिखित रूप से अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा बम्बई स्टाक एक्सचेंज की उप-विधियों में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है, और केन्द्रीय सरकार उस धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में व्यापार के हित में, और ऋण-पत्रों के स्वस्थ बाजार के अविलम्ब विकास के संवर्धन की दृष्टि से, उप-विधियों के उक्त संशोधनों को पहले प्रकाशित करने की शर्त से एतद्द्वारा अभिमुक्ति देती है ।

अनुसूची

बम्बई स्टाक एक्सचेंज की उप-विधियों में —

1 उप-विधि 120 के खण्ड (क) के शीर्षक में, पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों ''और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)'' को हटा दिया जाएगा ।

2 उप-विधि 120 के खण्ड (क) में पहली और दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों ''और वाहक या रजिस्ट्रीकृत ऋण-पत्रों (एण्ड बेयरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स)'' को हटा दिया जाएगा ।

3. उप-विधि 220 का खण्ड (क) का परन्तुक हटा दिया जाएगा ।

4 उप-विधि 121 के शीर्षक में, शब्दों ''और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)'' को हटा दिया जाएगा ।

5 उप-विधि 121 में पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों ''और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)'' को हटा दिया जाएगा ।

6 उप-विधि 122 में दूसरी तथा चौथी पंक्ति में आने वाले शब्दों ''और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)'' को हटा दिया जाएगा ।

7. उप-विधि 123 के खण्ड (क) मे दूसरी पंक्ति मे आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

8. उप-विधि 129 के खण्ड (क) मे दूसरी पंक्ति मे आने वाले शब्दो "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

9. उप-विधि 129 के खण्ड (ख) में, दूसरी पंक्ति मे आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

10. उप-विधि 126 का वर्तमान खण्ड (ख) उस उप-विधि के खण्ड (घ) के रूप मे पुन: वर्गीकृत किया जाएगा तथा उक्त उप-विधि 126 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"ऋण-पत्रों या बंध-पत्रों की ब्याज सहित क्रय कीमत से कटौती ।

(ख) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के ब्याज सहित सौदे के बारे मे, क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा बशर्ते कि विक्रेता द्वारा उसके ऋण-पत्रों की सुपुर्दगी अभिलेख की तारीख से या ब्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की अन्तरण पुस्तकों को बन्द करने की तारीख से पांच से कम दिन पहले दे दी गई हो ।

(ग) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के ऐसे सौदो के बारे में, जो ब्याज सहित आधार पर किए गए हो लेकिन क्रेता को समय पर ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की सुपुर्दगी करने मे विक्रेता की असमर्थता के कारण ऋण-पत्र/बंध-पत्र बाजार मे ब्याज रहित हो जाने के बाद भुगताए गए हो, क्रेता क्रय कीमत मे से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा ।"

[एफ. संख्या 2/10/एस. ई./82]
नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1983

S.O. 319(E). —Whereas the Central Government has received a request in writing from the governing body of the Stock Exchange Bombay that the bye-laws made by it may be amended

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Stock Exchange, Bombay, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section, the Central Government, in the interest of the trade, and with a view to promoting the development of a healthy market in debentures without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Stock Exchange, Bombay.—

(1) in the heading of clause (a) of Bye-law 120, the words "and debentures" appearing in line 1, shall be deleted.

(2) in clause (a)of Bye-law 120, the words "and bearer or registered debentures" appearing in lines 1 and 2, shall be deleted.

(3) the proviso to clause (a) of Bye-law 120, shall be deleted.

(4) in the heading of Bye-law 121, the words "and Bearer Securities" shall be deleted.

(5) in Bye-law 121, the words "and bearer securities" appearing in line 1, shall be delted.

(6) in Bye-law 122, the words "and bearer securities" appearing in line 2 and 4, shall, be deleted.

(7) in clause (a) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 2, shall be deleted.

(8) in clause (a) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in line 2, shall be deleted

(9) in clause (b) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in lines 4 and 5 shall be deleted.

(10) the existing clause (b) of Bye-law 126 shall be re-classified as clause (d) of that Bye-law and after clause (a) of the said Bye-law 126, the following new clauses shall be inserted, namely :—

"Deduction from Cum-interest Purchase Price of Dbentures or Bonds

(b) In respect of cum-interest transaction in debentures/bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basis provided the securities are delivered to him by the seller less than five days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures/bonds for the purpose of payment of interest.

(c) In respect of transactions in debentures/bonds entered into on a cum-interest-basis but settled after the debentures/bonds become ex-interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the dbentures/bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price the interest on a gross basis'

[F. No. 2/10/SE/82]
N. K. SENGUPTA, It Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983